

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/50
प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 09.01.20

1 आम्बालाल पुत्र शिवलाल जाति नाई निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

1 पैलादराम पुत्र नारणाराम 2 किशनाराम पुत्र जेठाराम 3 हीराराम पुत्र नारणाराम 4 गवरी पत्नी नारणाराम 5 हड्डुमानराम पुत्र भोपाराम 6 डूंगराराम पुत्र नगराम जाति सुथार 7 श्यामलाल 8 बाबूलाल 9 भवरलाल पिसरान प्रतापा 10 कमलादेवी पत्नी प्रतापा 11 रमेश 12 महेन्द्र 13 रेखा पिसरान कुम्भा 14 मीरो पत्नी कुम्भा 15 मेवा पुत्र राणा 16 जोगेन्द्र 17 धर्मेन्द्र पिसरान शंकर 18 विमला पुत्री शंकरा 19 नीलम पत्नी शंकर 20 लुणाराम 21 बंशीलाल 22 पवन 23 जेठाराम पिसरान मोतीराम 24 अमकादेवी पत्नी मोतीराम जाति नाई निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 127/2019

दिनांक- 07/01/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 172/103 रकबा 48.16 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/51-54

दिनांक- 09.01.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. आम्बालाल पुत्र शिवलाल जाति नाई निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पैलादराम पुत्र नारणाराम वगैराह जाति नाई निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

